(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

सं. 39018/01/2012-स्था. (ख) - भारत सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अपने तारीख 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था.(ख) के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और इसके अधिनस्थ कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी - III(अब समूह 'ग') (गैर तकनीकी) पदों पर भर्ती करने के लिए अधिनस्थ सेवा आयोग गठित किया गया है, जिसे बाद में तारीख 26 सितंबर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है । कर्मचारी चयन आयोग के कृत्यों में समय समय पर विस्तार किया गया था और संकल्प संख्या 39018/01/1998-स्था.(ख), वाल्यूम II, तारीख 14.1.2011 और संख्या 24012/29/2011- स्था.(ख), तारीख 24.7.2012 द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के गठन और कृत्य उपांतरित किए गए थे ।

2. अब संकल्प संख्या 24012/29/2011-स्था.(ख), तारीख 24.7.2012 के साथ पठित संकल्प संख्या 39018/1/98-स्था.(ख), तारीख 14.1.2011 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है, अर्थात्:-

तारीख 14.1.2011 के संकल्प के पैरा 2क में एक नई प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"पैरा 2 क (v) भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, 'ख' (राजपत्रित) के पदों पर वेतन बैंड 2, 9300-34800 रुपए और ग्रेड वेतन 4800 रुपए में सीधी भर्ती करना ।"

17/2/16

(डा. देवेश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल संकल्प भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में तारीख 17 जनवरी, 2011 को सं. 39018/01/98-स्था.(ख) द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

सं. 39018/01/2012-स्था.(बी) तारीख: 17 फरवरी, 2016

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली।